



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-12.09.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना कैण्ट में चोरी के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 02 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 10000/- रुपये अर्थदण्ड ।

थाना कैण्ट, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-406/2022 धारा 379,411,413,414 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील शेटी पुत्र जितेन्द्र बिन्द निवासी अठखमवां थाना गोला सासाराम नगर जिला रोहतास (बिहार) को प्रभारी निरीक्षक कैण्ट व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-12.09.2024 को माननीय न्यायालय AC मेन/UPSEB वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त सुनील शेटी उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 379 भा0द0वि0 में 01 वर्ष का कठोर कारावास व 1000/- रू0 अर्थदण्ड, धारा 411 भा0द0वि0 में 01 वर्ष का कठोर कारावास व 1000/- रू0 अर्थदण्ड, धारा 413 भा0द0वि0 में 02 वर्ष का कठोर कारावास व 3000/- रू0 अर्थदण्ड तथा धारा 414 भा0द0वि0 में 01 वर्ष का कठोर कारावास व 5000/- रू0 अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।